(केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए)

संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम

(1999 का सं. 5)

(दिस्म्बर, 2002 तक यथासंशोधित)

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2002

<u>विषय वस्तु</u>

1. संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

2. संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं) नियम, 1999

संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और
मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

(1999 का अधिनियम संख्यांक 5)
(2000 का अधिनियम 18 यथासंशोधित)

[7 जनवरी, 1999]

संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों के लिए प्रसुविधाओं का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 है।

[1][(2) यह 5 फरवरी, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।]

परिभाषाएं

[2][2.इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "मान्यताप्राप्त समूह" से अभिप्रेत है,-

(i) राज्य सभा के संबंध में, प्रत्येक दल, जिसकी संख्या पन्द्रह सदस्य से कम न हो और राज्य सभा में चौबीस सदस्य से अधिक न हो;

(ii) लोक सभा के संबंध में, प्रत्येक दल जिसकी संख्या तीस सदस्य से कम न हो और सदन में चौवन सदस्य से अधिक न हो;

(ख) "मान्यताप्राप्त दल" से अभिप्रेत है,-

(i) राज्य सभा के संबंध में, प्रत्येक दल जिसकी संख्या राज्य सभा में पच्चीस सदस्य से कम न हो;

(ii) लोक सभा के संबंध में, प्रत्येक दल की सदस्य की संख्या सदन में पचपन सदस्य से कम न हो।]

---

[1] 2000 के अधिनियम 18 द्वारा प्रतिस्थापित - 5.2.1999 भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी

[2] 2000 के अधिनियम 18 द्वारा प्रतिस्थापित - 5.2.1999 भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी

मान्यताप्राप्त समूहों और दलों के नेताओं और मुख्य सचेतकों के लिए प्रसुविधाएं

[3][3. केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए, किसी मान्यताप्राप्त समूह और किसी मान्यताप्राप्त दल के प्रत्येक नेता, उपनेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाओं का हकदार होगा:

परन्तु ऐसी प्रसुविधाएं, यथास्थिति, ऐसे नेता, उपनेता या मुख्य सचेतक को उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, जो-

1952 का 58

(i) मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 2 में यथापरिभाषित मंत्री का पद धारण करता है;

1977 का 33

(ii) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 2 में यथा परिभाषित विपक्षी नेता का पद धारण करता है, या

(iii) संसदीय समिति या अन्य समिति, परिषद, बोर्ड, आयोग या सरकार द्वारा स्थापित अन्य निकाय में किसी पद के धारण या प्रतिनिधित्व करने के आधार पर वैसी ही टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाओं का हकदार है; या

(iv) वैसी ही टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाओं का हकदार है, जो उसे किसी अन्य हैसियत में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा नियंत्रित निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई है।]

---

[3] 2000 के अधिनियम 18 द्वारा प्रतिस्थापित - 5.2.1999 भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी

नियम बनाने की शक्ति

4.(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1959 के अधिनियम 10 की धारा 3 का संशोधन

5. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में,-

(i) खंड (कख) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कग) संसद के किसी सदन में किसी मान्यताप्राप्त दल और किसी मान्यताप्राप्त समूह के [4][प्रत्येक नेता और प्रत्येक उपनेता] का पद;"

(ii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 3 - खंड (कग) में, "मान्यता प्राप्त दल" और "मान्यताप्राप्त समूह" पद के वही अर्थ हैं जो संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 में हैं।

[4] 2000 के अधिनियम 18 द्वारा प्रतिस्थापित- 5.2.1999 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी

नियमों और कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण	[5][6. संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं) नियम, 1999 को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 5 फरवरी, 1999 में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 66(अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 के अधीन प्रकाशित किया गया था, 5 फरवरी, 1999 से ही प्रभावी समझा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह सदैव प्रभावी रहा था मानो धारा 2 द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों और तदनुसार 5 फरवरी, 1999 से ही प्रारंभ होने वाली और उस दिन को, जिसको संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2000 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त नियम के अधीन की गई किसी कार्रवाई या की गई तात्पर्यित किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य और प्रभावी रूप से की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उक्त नियम सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो।]

[5] 2000 के अधिनियम 18 द्वारा अंत:स्थापित- 5.2.1999 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी

(4 फरवरी, 1999)

सा.का.नि.66 (अ) -केन्द्रीय सरकार, संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं) नियम, 1999

1. संक्षिप्त नाम :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में:-

(i) "अधिनियम" से संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5) अभिप्रेत है।

(ii) "मान्यता प्राप्त दल" और "मान्यता प्राप्त समूह" पदों का वही अर्थ है जो संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5) की धारा 2 में है।

[1][(iii) *** *** *** ***]

[2]**[3.टेलीफोन प्रसुविधाएं-** (1) मान्यताप्राप्त दल या समूह का प्रत्येक नेता, प्रत्येक उपनेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक, दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित उसके कार्यालय या निवास में से किसी एक पर स्थापित एक टेलीफोन के स्थापन और किराये की बाबत कोई संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा और वह ऐसे नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक के रूप में उसकी पदावधि के दौरान उस टेलीफोन से की गई किन्ही कालों की बाबत, उसके ऐसे प्रमाणीकरण के अधीन रहते हुए कि कालें, उसके ऐसे नेता, उपनेता ओर मुख्य सचेतक के कर्तव्यों के निर्वहन में की गई थी, कोई संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

---

[1] 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (।) में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 583 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (।) में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 583(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपनियम (1) के अधीन दी गई प्रसुविधा उसे संसद सदस्य के रूप में आवासन और टेलीफोन प्रसुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 के अधीन अनुळ्ोय टेलीफोन प्रसुविधाओं के अतिरिक्त होगी।]

4. सचिवीय प्रसुविधा:- किसी मान्यता प्राप्त दल या मान्यता प्राप्त समूह का [3][प्रत्येक नेता, प्रत्येक उपनेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक] प्रसुविधा का हकदार होगा:-

आशुलिपिक - एक

(8000 - 13500 रू के वेतनमान में निजी सचिव ग्रेड III)

5. प्रसुविधाओं का अस्थाई और सह-विस्तारी होना- इन नियमों के नियम 3 और नियम 4 के अधीन अनुज्ञेय टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं मान्यता प्राप्त दल या मान्यता प्राप्त समूह के [4][नेता, उपनेता या मुख्य सचेतक] के साथ अस्थाई और सह-विस्तारी होंगी।

[5][**6. नियम 3 ओर नियम 4** के अधीन अनुज्ञेय टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं, यथास्थिति, ऐसे नेता, उपनेता या मुख्य सचेतक को उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, जो संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 की धारा 3 के परन्तुक में वर्णित है।]

---

[3] 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (I) में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 583 (ङ) द्वारा अंतःस्थापित।

[4] 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (I) में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 583 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (I) में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 583 (ङ) द्वारा अंतःस्थापित।